

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प 1(6)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 23/10/19

--:अधिसूचना::--

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से, कॉलम संख्या-2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या-3 में उल्लेखित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या-4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.स	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	के	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2		3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला		अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-4, कोटपूतली	कोटपूतली
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला		अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2, शाहपुरा	शाहपुरा

नोट:- शाहपुरा में कार्यरत अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय का नाम परिवर्तित कर अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 निर्धारित किया जाता है एवं उपरोक्त नवसृजित न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से
 23-10-19
 (विनोद कुमार भारवानी)
 प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/11/05/2017(S)...1543

Dated: 21/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned courts.
4. concerned Chief Judicial/Metro. Magistrate/s.
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website).

31-10-19
 REGISTRAR (RULES)